दिनांक: **10-04-2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे व निशादेही से घटना में प्रयुक्त तमंचा कारतूस व मो0सा0 तथा मृतक का पर्स बरामद ।

बरामदगी का विवरण

- **01 तमंचा 315 बोर**
- **01 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
- **01 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **01 मोटर साईकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट**
- **मृतक का पर्स जिसमें कुल 250 रूपये व एडमिट कार्ड**

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2024 को वादी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र वेदपाल सिंह निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र आदित्य उम्र करीब 18 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्तगण 1.रणदीप पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2.जोनी उर्फ शुभम पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व अन्य 01 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.04.24 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण **1.रणदीप पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2.जोनी उर्फ शुभम पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम रानीपुर से आगे आधा किलोमीटर बने बंदा से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे व निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक मो0सा0 स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट रंग काला जिसका चेसिस नं0 MBLHA10BWGHD00035, इंजन नं 0HA10EWGHD50065 तथा मृतक का एक पर्स जिसमें कुल 250 रूपये व मृतक का एडमिट कार्ड बरामद हुआ। विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकमदा उपरोक्त में धारा 34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई । अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर रणदीप ने बताया कि मैं कक्षा 12 वीं तथा अभियुक्त जोनी ने बताया कि मैं कक्षा 07 वी तक पढ़ा लिखा हूँ तथा दोनों ने एक स्वर में बताया कि हमारे साथी कार्तिक पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की व मृतक आदित्य की करीब पाँच छः महीने पहले रूपयों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई थी। हमारे साथी कार्तिक ने आदित्य से 5 हजार रूपये उधार लिये थे तथा आदित्य कार्तिक से बार-बार अपने रूपये मांगकर बेइज्जत कर रहा था इस बात पर मैने व कार्तिक ने आदित्य को मारने का प्लान बनाया तथा कार्तिक ने अपने दोस्त जोनी उर्फ शुभम पुत्र शीशपाल निवासी सहसपुर जट्ट थाना नकुड जिला सहारनपुर को यह सारी बाते बताई और जोनी से आदित्य को लेकर शामली अम्बाला निर्माणाधीन हाईवे पर आने की बात कही । इसी योजना के अन्तर्गत दिनांक 06.04.2024 की शाम को जोनी उर्फ शुभम उक्त आदित्य को अपने गांव से बुलाकर पैदल निर्माणाधीन हाईवे पर रात के समय करीब 09.30 बजे लेकर आ गया था । मैं और कार्तिक भी मेरी स्प्लेन्डर प्लस मो0सा0 से निर्माणाधीन हाईवे पर पहुँच गये थे । वहाँ पर आदित्य और जोनी पहले से मौजूद मिले फिर हम लोग बैठकर आपस में बाते करने लगे तो आदित्य कार्तिक से फिर अपने रूपये मांगने लगा । उसी समय मैनें आदित्य से धक्का मुक्की करते हुए कहा कि तू मेरे साथी कार्तिक को 5 हजार रूपये के लिये बार बार बेइज्जत कर रहा है आज हम तेरा काम तमाम कर देते हैं, तभी मैनें आदित्य का गला पकड़ लिया था और जोनी ने आदित्य के हाथ पकड़ लिये थे तथा मेरे साथी कार्तिक ने अपनी पैंट से तमंचा निकालकर एक गोली आदित्य की पीठ में मार दी थी जिससे आदित्य नीचे गिर गया था तथा नीचे गिरे हुए आदित्य को मैनें एक गोली उसके सीने पर मार दी थी । आदित्य को गोली मारने के बाद आदित्य के जेब में रखे मोबाईल फोन को कार्तिक व पर्स को मैंने ले लिया था उसके बाद मैं और कार्तिक मो0सा0 से निर्माणाधीन हाईवे पर हरियाणा की तरफ भाग गये थे, जोनी उर्फ शुभम अपने गांव सहसपुर जट्ट चला गया था। मैने तमंचा, कारतूस तथा मृतक आदित्य का पर्स निर्माणाधीन हाईवे से सटे एक गेहूँ के एक खेत में छुपा दिया था जो मैनें आज पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रणदीप पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. जोनी उर्फ शुभम पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त रणदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 409/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 110/24 धारा 302/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त जोनी उर्फ शुभम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 110/24 धारा 302/34 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. निरी0 श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
3. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1003 प्रवीण अहलावत थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 2464 आकाश यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 10-04-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.04.24 को 02 वारंटी अभियुक्त **1-श्रवण पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम सिसोना जमालपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 452/19 , मु0अ0सं0 98/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बडगांव मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) जे0एम0 देवबन्द सहारनपुर **2- अनिल कुमार पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगांव जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 361/19 , मु0अ0सं0 261/18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना बडगांव मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) जे0एम0 देवबन्द सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- श्रवण पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम सिसोना जमालपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- अनिल कुमार पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम सिसोनी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार वारण्टी का आपराधिक इतिहास

अनिल कुमार पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम सिसोनी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

1- मु0अ0सं0 12/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 36/19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 261/18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4- मु0अ0सं0 223/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

श्रवण पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम सिसोना जमालपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

1- मु0अ0सं0 98/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. हे0कां0 16 सोनू थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. हे0कां0 308 ऋषिपाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 10.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार सहारनपुर, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 200 ग्राम नाजायज चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम व इसमें सलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अश्वनी उर्फ सोना पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी फतेहपुर जट्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को नवादा रोड जाली फैक्ट्री से, ग्राम फतेहपुर जट्ट की ओर सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **200 ग्राम नाजायज चरस** बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त अश्वनी उर्फ सोना उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 215/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ मैं चरस आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरों से सस्ते दोमों पर खरीदकर आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वालें लोगों को महगें दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज भी मै यह चरस बेचने जा रहा था, कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अश्वनी उर्फ सोना पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 फतेहपुर जट्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त अश्वनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 33/20 धारा 414 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 63/24 धारा 4/25 एर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 422/23 धारा 4/25 एर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 713/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 843/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 215/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

200 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह अधाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 1340 पुष्पेन्द्र कुमार सदर बाजार जिला सहारनपुर।

दिनांकः **10-04-2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 09 माह का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2022 को वादी श्री उपनिरीक्षक महेषचन्द थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त जुनैद पुत्र जाहिद नि0 मौ0 महल नई बस्ती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद करने की सूचना पर मु0अ0सं0 118/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1097/2022 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.04.2024 को अभियुक्त जुनैद पुत्र जाहिद को मु0अ0सं0 118/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 09 माह का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक उ0 नि0 श्री अनिल कुमार
पैरोकार हे0 का0 121 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-09 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.07.2018 को वादी उ0 नि0 श्री पवन कुमार चैधरी थानाध्यक्ष कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-उम्मेद पुत्र शकूर नि0 सरूरपुर कला बागपत 2-मोहित पुत्र बीरपाल गुर्जर नि0 नगली थाना दौराला मेरठ 3-रियासत पुत्र युसुफ नि0 खानपुर गंगोह 4-सुषील पुत्र महेन्द्र गडरिया नि0 करौन्दी भगवानपुर हरिद्वार 5-किरनदास पुत्र शानसिंह नि0 जहानखेडा रामपुर 6-श्रीमती सुनीता पत्नी स्वः सुरेन्द्र नि0 मोरगंज को0नगर सहारनपुर 7-रघुवीर प्रधान पुत्र बारूमल नि0 रसूलपुर थाना को0देहात 8-जोनी पुत्र राजेष नि0 सुनेहटी खडखडी थाना गा0हेडी सहारनपुर को बच्चे चुराने की योजना बनाते मय अस्लाह व दो मोटर साइकिल के पकडे जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 455/2018 धारा 398,342,414,401 भादवि थाना कोतवाली को0देहात पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 633/2024 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-09 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-09 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.04.2024 को अभियुक्त उम्मेद पुत्र शकूर को मु0अ0सं0 455/2018 धारा 398,414,401 भादवि का दोषी पाते हुए 05 वर्ष का संश्रम कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- सात अभियुक्तों की फाइल माननीय न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री नीरज चैहान
विवेचक निरी0 श्री इन्द्रपाल सिंह
पैरोकार हे0का0 963 सचिन कुमार थाना को0देहात सहारनपुर।